कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक,राजसमन्द(राज0)

क्रमांकः–म–7( )राजस–विविध/निस्ता–वाहन/2025/8359-62 दिनांक :–27.10.2025

–: नीलामी सूचना :–

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस जिले के थाना केलवाड़ा, रेलमगरा, खमनोर, आमेट, केलवा एवं देलवाड़ा पर 38 पुलिस एक्ट में जब्तशुदा कुल 33 वाहनों की नीलामी दिनांक 14.11.2025 (शुक्रवार) को प्रातः 11.00 बजे पुलिस लाईन परिसर राजसमन्द में नीलामी कमेटी की उपस्थिति में खुली बोली द्वारा की जावेगी। वाहनों की नीलामी से संबंधित शर्ते एवं वाहन की सूची विभागीय वेबसाईट पर भी उपलब्ध है एवं किसी भी कार्यदिवस को पुलिस अधीक्षक कार्यालय एवं पुलिस लाईन राजसमन्द में देखी जा सकती है।

नीलामी योग्य वाहनों का अवलोकन किसी भी कार्यदिवस में पुलिस लाईन परिसर राजसमन्द में किया जा सकता हैं, इच्छुक बोलीदाता निर्धारित दिनांक/समय पर बोली में भाग लेने हेतु उपस्थित होवें।

शर्ते :–

1. बोली लगाने से पूर्व बोलीदाता को प्रतिभूति राशि 5000/– रूपये प्रति वाहन नकद जमा करवाने होंगे।
2. बोलीदाता को बोली लगाने से पूर्व पहचान पत्र प्रस्तुत करने होंगे।
3. बोलीदाता को नियमानुसार जीएसटी पृथक से देनी होगी।

जिला पुलिस अधीक्षक
राजसमन्द

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ :–

1. महानिरीक्षक, पुलिस उदयपुर रेंज उदयपुर
2. जिला कलक्टर राजसमन्द
3. समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
4. जिला परिवहन अधिकारी राजसमन्द
5. कोषाधिकारी कोष कार्यालय राजसमन्द
6. समस्त पुलिस उप अधीक्षक जिला राजसमन्द
7. समस्त थानाधिकारी जिला राजसमन्द कासे उक्त नीलामी विज्ञप्ति अपने थाने के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाना सुनिश्चित करावें।
8. प्रभारी, कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा उक्त नीलामी विज्ञप्ति राजस्थान पुलिस की वेबसाईट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।

7. प्रभारी, लेखा शाखा/अपराध शाखा/कार्यप्रणाली शाखा कार्यालय हाजा
8. कैशीयर कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि नीलामी स्थल पर उपस्थित हो समस्त प्रकार की अमानत राशि एवं नीलामी राशि व जीएसटी कर/अन्य कर राशि मौके पर प्राप्त कर नियमानुसार राजकोष मे जमा करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
9. प्रभारी, पुलिस नियंत्रण कक्ष राजसमन्द
10. प्रभारी, परिवहन शाखा पुलिस लाईन राजसमन्द

जिला पुलिस अधीक्षक
राजसमन्द

कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक,राजसमन्द (राज0)

–: नीलामी हेतु शर्ते :–

1. नीलामी में सम्मिलित होने वाली समस्त फर्मो को नीलामी प्रारम्भ होने से पूर्व अमानत राशि 5000/– रूपये प्रति वाहन जिला पुलिस अधीक्षक को देय डिमाण्ड ड्राफ्ट/नकद केशियर को जमा करवाना होगा, तत्पश्चात प्राप्त डिमाण्ड ड्राफ्ट/नकद को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
2. बोलीदाता को बोली लगाने से पूर्व पहचान पत्र, जीएसटी नं. प्रस्तुत करने होंगे।
3. नीलामी कमेटी द्वारा निर्धारित न्यूनतम् मूल्य से आगे बोली शुरू की जावेगी।
4. जिस बोलीदाता के नाम अधिकतम् बोली छोड़ी जायेगी उसे उसी समय 25% राशि जमा करानी होगी।
5. वाहनों की बोली की राशि (सम्पूर्ण राशि) 03 दिवस में जमा करानी होगी। सम्पूर्ण राशि जमा कराने के पश्चात ही वाहन सुपुर्द किया जायेगा। निर्धारित अवधि में सम्पूर्ण राशि जमा नहीं कराने पर इस कार्यालय द्वारा बोलीदाता की अमानत राशि एवं जमा कराई गई 25% राशि जब्त की ली जायेगी।
6. वाहनों की समस्त राशि जमा कराने के बाद तुरन्त वाहनों को उठाना होगा, जिसका माल–भाड़ा, कर (टेक्स) इत्यादि फर्म का रहेगा।
7. वाहन के पंजीयन एवं हस्तांतरण आदि कराने के समस्त व्यय एवं औपचारिकताओं की पूर्ति की जिम्मेदारी बोली छुड़ाने वाले की होगी। वाहन नीलामी के पश्चात इस कार्यालय द्वारा उच्चतम बोलीदाता को रिलीज मीमो दिया जायेगा, जिसके आधार पर संबंधित पंजीयन कार्यालय से वाहन का स्थानान्तरण/पंजीयन कराने की समस्त जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी। इस विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
8. नीलामी में सफल बोलीदाता को वाहन के विक्रय पर नियमानुसार प्रवत्त समस्त प्रकार के राजकीय कर, फीस, जीएसटी एवं वैट आदि बोली राशि के अतिरिक्त जमा करानी होगी। वाहन को परिवहन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन होने के उपरान्त ही उपयोग में लिया जा सकेगा।
9. वाहनों का यथास्थिति निरीक्षण पुलिस लाईन राजसमन्द परिसर में उपस्थित होकर कर लिया जावें। वाहन जैसी स्थिति में है वैसा ही बोलीदाता को सम्भलाया जावेगा।
10. बोली छोड़ने एवं नीलामी खारिज करने के समस्त अधिकार नीलामी कमेटी/पुलिस अधीक्षक, महिला प्रकोष्ट राजसमन्द को होंगे।

जिला पुलिस अधीक्षक
राजसमन्द